Govt. Shahid Veer Nrayan singh College Bilaigarh

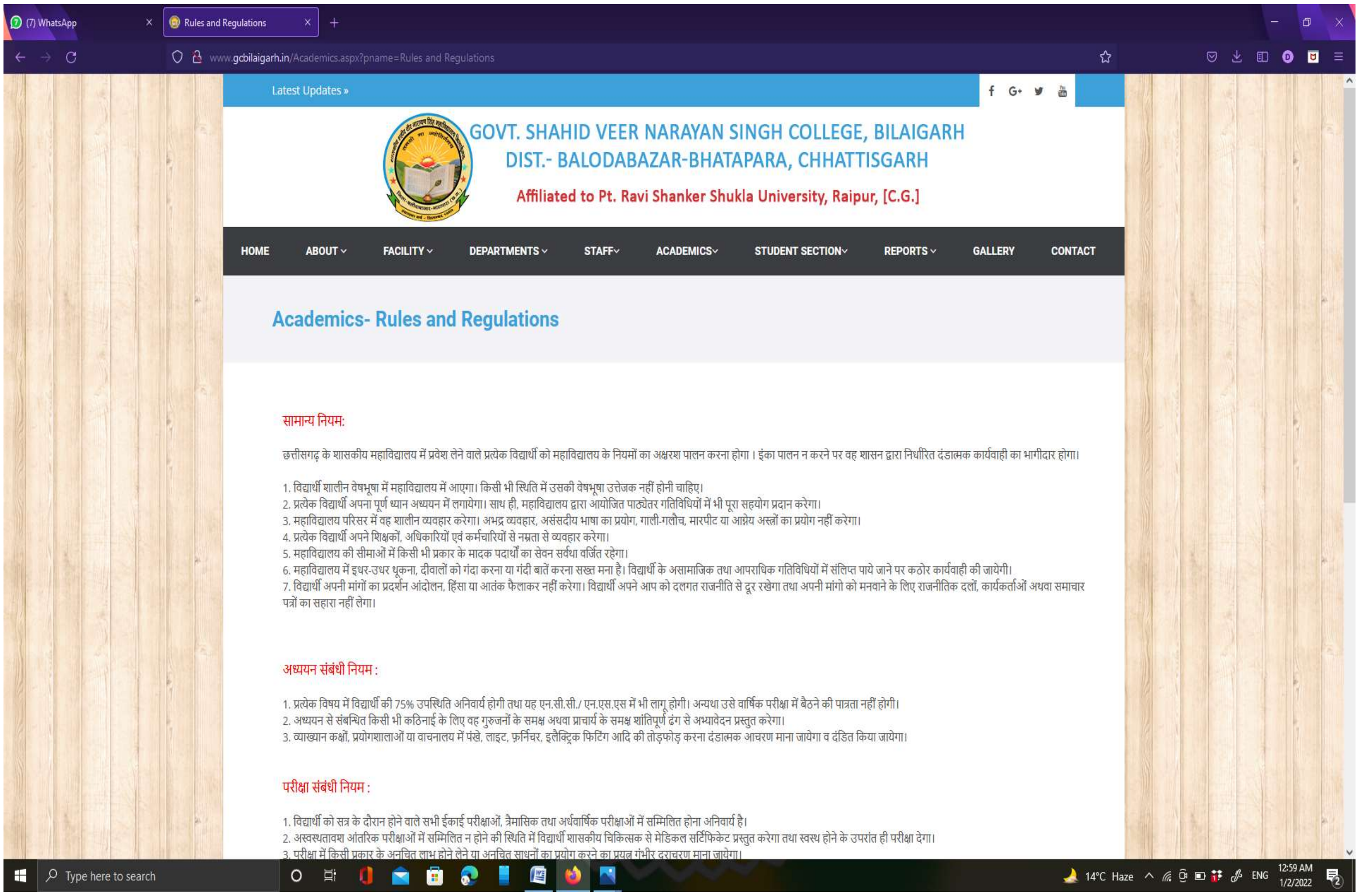

GOVT. SHAHID VEER NARAYAN SINGH COLLEGE, BILAIGARH
DIST.- BALODABAZAR-BHATAPARA, CHHATTISGARH
Affiliated to Pt. Ravi Shanker Shukla University, Raipur, [C.G.]

HOME ABOUT FACILITY DEPARTMENTS STAFF ACADEMICS STUDENT SECTION REPORTS GALLERY CONTACT

Academics- Rules and Regulations

सामान्य नियम:

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश पालन करना होगा। इंका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेषभूषा में महाविद्यालय में आएगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेषभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही, महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता से व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
6. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें करना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./ एन.एस.एस में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. अध्ययन से संबन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
3. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाइट, फ़र्निचर, इलैक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा व दंडित किया जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाले सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत ही परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

Rules and Regulations

Coordinator
IQAC
Government Shahid Veer Narayan
Singh College Bilaigarh

PRINCIPAL
Government Shahid Veer
Narayan Singh College Bilaigarh
Balodabazar (C.G.) 493338

कार्यालय प्राचार्य शासकीय शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय,
बिलाईगढ,जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
Email ID -collegebilaigarh@gmail.com | www.gcbilaigarh.in | Ph. No. - 07729-231581

कमांक / 133 / 2021–22

बिलाईगढ़, दिनांक– 18 / 08 / 2021

/ /आदेश / /

सत्र 2021–22 के सुचारू संचालन हेतु महाविद्यालय में निम्न समितियों का गठन किया जाता है व आदेशित किया जाता है कि सभी अधिकारी –कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करें।

1. **प्रवेश समिति**

   बी.ए. भाग– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय – श्री जीवेन्द्र कुमार राठौर
   – श्री पंकज साहू

   बी.एससी. भाग– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय – श्री उमाशंकर भारद्वाज

   एम.ए. हिन्दी, भूगोल एवं समाजशास्त्र– – श्री जीवेन्द्र कुमार राठौर
   – श्री पंकज साहू

2. **अकादमिक समिति**

   संयोजक – श्री पंकज साहू
   सदस्य– श्री तुलेश्वर सिंह ध्रुवे
   सदस्य– श्री उमाशंकर भारद्वाज
   सदस्य– श्री जीवेन्द्र कुमार राठौर

3. **अनुशासन समिति**

   संयोजक – श्री जीवेन्द्र कुमार राठौर
   सदस्य– श्री तुलेश्वर सिंह ध्रुवे
   सदस्य– श्री उमाशंकर भारद्वाज

4. **एन्टी रैंगिंग समिति**

   संयोजक – श्री तुलेश्वर सिंह ध्रुवे
   सदस्य– श्री उमाशंकर भारद्वाज
   सदस्य– श्री पंकज साहू